

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र



क्रमांक.....

97

/चूरु/2007

- 2008

SSE M.H. College
Chur

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्टार सिटी इन्स्टिट्यूट मिडियम

मैनेजमेंट समिति तारानगर तहसील

तारानगर

जिला

चूरु का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या - 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण और किया गया।

यह प्रमाण - पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक 11/11/2007 माह नवम्बर सन् दो हजार 2008 को
चूरु में दिया गया।

राजस्थान
रजिस्ट्रार संस्थाएं
चूरु

11/11/2007

रजिस्ट्रार संस्थाएं
चूरु

स्टार सीटी इंग्लिश मिडियम मैनेजमेन्ट समिति, तारानगर जिला चूरु

संशोधित संध विधान-पत्र

1. संस्था का नाम :- इस संस्था का नाम स्टार सीटी इंग्लिश मिडियम मैनेजमेन्ट समिति तारानगर जिला-चूरु है।
2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र :- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय मु.पो. तारानगर तह. तारानगर जिला-चूरु में है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य

:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. शिक्षा के क्षेत्र में जागृति लाना।
2. छात्र/छात्राओं को आधुनिक युग के साथ जोड़ना।
3. आधुनिक तकनीकी को विकसित करना एवं प्रौद्योगिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
4. बच्चों के सर्वांगीण विकास में भागीदारी निभाना।
5. कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
6. प्रतियोगिता के युग में छात्र/छात्राओं को इसके लिए प्रेरित करना व जोड़ना।
7. पिछड़े क्षेत्र में छिपी हुई प्रतिभावों को आगे लाना।
8. छात्र/छात्राओं में अनुशासन सदाचार नियमितता एवं विज्ञान प्रवृत्ति का विकास करना एवं इसके लिए प्रेरित करना।
9. क्षेत्र में उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना करना।
10. छात्र/छात्राओं में सहशिक्षा को बढ़ावा देना एवं दोनों प्रकार की जागरूकता सुनिश्चित करना।



अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

-- 2 --

सचिव
स्टार सीटी इंग्लिश
मिडियम मैनेजमेन्ट स्कूल
तारानगर (चूरु)

स्टार सीटी इंग्लिश
मिडियम मैनेजमेन्ट स्कूल
तारानगर (चूरु)

11. आधुनिक समाज के योग्य बनाना।
12. स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कर सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाना।
13. समाज में फैली कुरीतियों का निवारण कर ऋण व्यवस्था अथवा सुधार की स्थापना करना।
14. संस्थाओं द्वारा आयुर्वेद एवं एलोपैथिक नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना करना।
15. संस्था द्वारा कृषि महाविद्यालय संचालन की व्यवस्था करना।
16. संस्था द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के हित के विचारण हेतु महिला छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास खोला जाना प्रस्तावित है।
17. जनसुविधाओं को ध्यान रखते हुए औषधालयों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य सुधार केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्रों, आयुर्वेदिक तथा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना।
18. नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाएँ संचालित करना जैसे :- ए.एन.एम, जी.एन.एम, बी.एस.सी., नर्सिंग स्कूल, ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मसिस्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
19. ग्रामीण क्षेत्र में छात्र/छात्राओं को पशुधन के बारे में शिक्षा चिकित्सा, आयुर्वेद की शिक्षा के साथ-साथ वेटेनरी कॉलेज, एम.बी.बी.एस कॉलेज आदि का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य रहेंगे।
20. संस्था के उच्चतर विकास हेतु संस्था को आवश्यकता पड़ने पर संस्था अपनी परिसम्पत्तियों को किसी वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों को मोरगेज करवाकर ऋण प्राप्त कर सकेंगी। प्राप्त ऋण संस्थाओं के उद्देश्य की पूर्ति में व्यय किया जाएगा। प्राप्त ऋण निश्चित समय अवधि में संस्था सम्बन्धित वित्तीय संस्था अथवा बैंक को वापिस जमा करवायेगी। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।



अध्यक्ष ✓

सचिव

कोषाध्यक्ष

- 3 -

सचिव
स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान सरकार
जयपुर
सचिव
स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान सरकार
जयपुर

(3)

28

1. सरणी का नाम

इस सरणी का नाम सरणी की प्रवर्तनकर्ता की
निर्वाह हेतु आगित केक दिनांक 15.02.2017 को
नवनिर्वाचित प्रवर्तनकर्ता को सौंपा गया है। जिसके
वर्तमान प्रदाताकारी सदस्य निम्न प्रकार है।
सरणी का एजीडन क्रमांक 97/ पूरु, 2007 का है।



क्र.सं.	नाम	व्यवसाय	पूर्णता	पद
1	श्री एन.पी. शर्मा / रघुदयाल शर्मा	शिक्षण	जयपुर	अध्यक्ष
2	श्री कृष्ण / बाबूलाल	व्यापार	वार्ड नं. 4 तारानगर	उपाध्यक्ष
3	श्री राजदीर चौधरी / मनफुल सिंह	शिक्षण	वार्ड नं. 16 तारानगर	सचिव
4	नेहा चौधरी / रामकुमार	अध्यापन	वार्ड नं. 16 तारानगर	उपमंत्री
5	अमरपाली / विजयसिंह	शिक्षण	वार्ड नं. 16 तारानगर	कोषाध्यक्ष
6	जलेशिंह / टेकचन्द	व्यापार	हरिपुरा तह. तारानगर	सदस्य
7	राकेश / भागीरथ राम	शिक्षण	तिलक नगर विकानेर	सदस्य
8	जसपाल / उदयराज	शिक्षण	नेरवाड़ा तह. फलोदी जोधपुर	सदस्य
9	पाप्पूराम / पुराराम	शिक्षण	श्रामसरी तह. डेगा, ना, नागौर	सदस्य
10	मुकेश कुमार / महावीर प्रसाद	शिक्षण	फेफाना तह. नोहर हनु.	सदस्य
11	हरि सिंह / मनफुल राम	ठैकेदार	देगावबास, तह. तारानगर	सदस्य
12	मनोज कुमार / मोहन लाल	व्यापारी	वार्ड नं. 16, तारानगर	सदस्य
13	रविता / प्रताप	शिक्षण	वार्ड नं. 16, तारानगर	सदस्य
14	बृजलाल / जयनारायण	व्यापार	वार्ड नं. 10, तारानगर	सदस्य
15	ओमप्रकाश / नानूराम	छुकानदार	वार्ड नं. 16, तारानगर	सदस्य
16				

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

सचिव
सरणी सीटी इंग्लिश
केसरी नगरपालिका स्कूल
तारानगर (पूरु)

सचिव
सरणी सीटी इंग्लिश
केसरी नगरपालिका स्कूल
तारानगर (पूरु)

(4)

25

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता जिनके नाम व्यवसाय, पूर्ण पता निम्न प्रकार है की हम इस संस्था की प्रथम साधारण सभा बैठक दिनांक 30.01.2012 को पारित प्रस्तावनुसार इस संस्था की साधारण सभा के प्राथमिक अधिकृत सदस्य हैं। संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था व रूप में गठित होने पर व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने व फाईल करवाने के इच्छुक है।

क्र.सं.	नाम सदस्य मय पिता /पति	व्यवसाय	पूर्णता	हस्ताक्षर
1	श्री एन.पी. शर्मा / रघुदेयाल शर्मा	शिक्षण	जयपुर	6-1-12
2	श्री कृष्ण / बाबूलाल	व्यापार	वार्ड नं. 4 तारानगर	श्री कृष्ण
3	श्री राजवीर चौधरी / मनफुल सिंह	शिक्षण	वार्ड नं. 16 तारानगर	6-1-12
4	नेहा चौधरी / रामकुमार	अध्यापन	वार्ड नं. 16 तारानगर	Neeta
5	अमरपाली / विजयसिंह	शिक्षण	वार्ड नं. 16 तारानगर	6-1-12
6	जलेशिंह / टेकचन्द	व्यापार	हरिपुरा तह. तारानगर	जलेशिंह
7	राकेश / भागीरथ राम	शिक्षण	तिलक नगर बिकानेर	राकेश
8	जसपाल / उदयराम	शिक्षण	मेरवाड़ा तह. फलोदी जोधपुर	जसपाल
9	पप्पूराम / पुराराम	शिक्षण	श्रामसरी तह. डेगाना, नागौर	पप्पूराम
10	मुकेश कुमार / महावीर प्रसाद	कृषि	फेफाना तह. नोहर हनु.	6-1-12
11	हरि सिंह / मनफुल राम	कृषि	देगावबास, तड. तारानगर	3-1-12
12	मनोज कुमार / मोहन लाल	व्यापारी	वार्ड नं. 16, तारानगर	मनोज
13	रविता / प्रताप	शिक्षण	वार्ड नं. 16, तारानगर	रविता
14	बृजलाल / जयनारायण	व्यापार	वार्ड नं. 10, तारानगर	बृजलाल
15	ओमप्रकाश / नानूराम	छुकानदार	वार्ड नं. 16, तारानगर	ओमप्रकाश
16	फुलसिंह / गंगाराम	कृषि	भामासी, तह. राजगढ़	फुलसिंह
17	महेश कुमार / केदार गिर	शिक्षण	वार्ड नं. 11, तारानगर	महेश
18	शिवनाराण / मोहन लाल	कृषि	वार्ड नं. 11, तारानगर	शिवनाराण

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी धोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

साक्षी नं. 1

पूर्णतया व हस्ताक्षर

साक्षी नं. 2

पूर्णतया व हस्ताक्षर

अध्यक्ष
(डॉ. एन.पी. शर्मा)

सचिव
(राजवीर चौधरी)

कोषाध्यक्ष
(अमरपाली)

दस्तावेज की सत्यता के लिए संस्था
स्वयं जिम्मेदार है।

निराल पत्रावली में शामिल किया गया

रजिस्ट्रार संस्थाएं

पूरा

सचिव
स्तर सीपी इलियस
डेपुटी मैनेजर स्कूल
तारानगर (चूला)

सचिव
मैनेजर स्कूल
तारानगर (चूला)

संस्था की प्रथम साधारण सभा बैठक दिनांक 30.01.2012 को संस्था के विधान की धारा संख्या-03 में

किये गये परिवर्तन, परिवर्धन व संशोधन का तुलनात्मक विवरण :-

क्र. सं.	विधान की धारा संख्या	विधान का पंजीकृत नियम	विधान में किया गया संशोधित नियम (नया नियम)
1	विधान की धारा संख्या-03 संस्था उद्देश्य	- शिक्षा के क्षेत्र में जागृति लाना। - छात्र/छात्राओं को आधुनिक युग के साथ जोड़ना। - आधुनिक तकनीकी को विकसित करना एवं प्रौद्योगिक शिक्षा को बढ़ावा देना। - बच्चों के सर्वांगीण विकास में भागीदारी निभाना। - कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना। - प्रतिभागीता के युग में छात्र/छात्राओं को इसके लिए प्रेरित करना व जोड़ना। - विभिन्न क्षेत्र में होने वाले प्रतिभाओं को आगे लाना। - छात्र/छात्राओं में अनुशासन, संसाधन, नियमित एवं निरंतरता प्रदान करना एवं इससे लिए प्रेरित करना। - क्षेत्र में उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना करना। - छात्र/छात्राओं में शिक्षा को बढ़ावा देना एवं	- शिक्षा के क्षेत्र में जागृति लाना। - छात्र/छात्राओं को आधुनिक युग के साथ जोड़ना। - आधुनिक तकनीकी को विकसित करना एवं प्रौद्योगिक शिक्षा को बढ़ावा देना। - बच्चों के सर्वांगीण विकास में भागीदारी निभाना। - कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना। - प्रतिभागीता के युग में छात्र/छात्राओं को इसके लिए प्रेरित करना व जोड़ना। - विभिन्न क्षेत्र में होने वाले प्रतिभाओं को आगे लाना। - छात्र/छात्राओं में अनुशासन, संसाधन, नियमित एवं निरंतरता प्रदान करना एवं इससे लिए प्रेरित करना। - क्षेत्र में उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना करना। - छात्र/छात्राओं में शिक्षा को बढ़ावा देना एवं



सचिव
स्टार सीटी इंग्लिश
मैरजेमेंट स्कूल
तारानगर (बुल)

सचिव
स्टार सीटी इंग्लिश
मैरजेमेंट स्कूल
तारानगर (बुल)

दोनों प्रकार की देना।

11. आधुनिक समाज के योग्य बनाना।

12. स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कर सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाना।

13. समाज में फैली कुरीतियों का निवारण कर ऋण व्यवस्था अच्छे समाज की स्थापना करना।

14. संस्था द्वारा आयुर्वेद एवं एलोपैथिक नर्सिंग महाविद्यालय संचालन की व्यवस्था करना।

15. संस्था द्वारा कृषि महाविद्यालय संचालन की व्यवस्था करना।



16. संस्था द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्राओं के हित के लिए समाज कल्याण हेतु नईला छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास खोल जाना प्रस्तावित है।

17. उन सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अस्पताल, नर्सिंग हॉम स्वास्थ्य केंद्र प्रशिक्षण केंद्र, आयुर्वेदिक एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना करना।

18. नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित करने जैसे - ए.ए.ए.सी.एम.एस.एस. नर्सिंग स्कूल, डॉ. इंदिरा गांधी एन.के.ए.ए.ए.सी.जी. नर्सिंग

प्रकार की देना।

11. आधुनिक समाज के योग्य बनाना।

12. स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कर सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाना।

13. समाज में फैली कुरीतियों का निवारण कर ऋण व्यवस्था अच्छे समाज की स्थापना करना।

14. संस्था द्वारा आयुर्वेद एवं एलोपैथिक नर्सिंग महाविद्यालय संचालन की व्यवस्था करना।

15. संस्था द्वारा कृषि महाविद्यालय संचालन की व्यवस्था करना।

16. संस्था द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्राओं के हित के लिए समाज कल्याण हेतु महिला छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास खोल जाना प्रस्तावित है।

17. उन सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अस्पताल, नर्सिंग हॉम स्वास्थ्य सुधार केंद्र प्रशिक्षण केंद्रों, आयुर्वेदिक एवं अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करना।

18. नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित करना जैसे - ए.ए.ए.सी.एम.एस.एस. नर्सिंग स्कूल, डॉ. इंदिरा गांधी एन.के.ए.ए.ए.सी.जी. नर्सिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

सचिव
राज्य सीटी हॉस्पिटल
बैंगलूर मैनेजमेंट स्कूल
बैंगलूर (कर्नाटक)

सचिव
राज्य सीटी हॉस्पिटल
बैंगलूर मैनेजमेंट स्कूल
बैंगलूर (कर्नाटक)

19. नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित करने जैसे - ए.ए.ए.सी.एम.एस.एस. नर्सिंग स्कूल, डॉ. इंदिरा गांधी एन.के.ए.ए.ए.सी.जी. नर्सिंग

3

(3)

प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

19. ग्रामीण क्षेत्र में छात्र/छात्राओं को पशुधन के बारे में शिक्षा चिकित्सा आयुर्वेद को शिक्षा के साथ-साथ वेटनरी कॉलेज, एमबीबीएस कॉलेज आदि का प्रशिक्षण उपलब्ध करना मुख्य उद्देश्य होंगे।



दस्तावेज की सत्यता के लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार है।
भिशत पत्रावली में शामिल किया गया।

जिस्ट्रार-संस्थाएं

चक्र

शिक्षा चिकित्सा आयुर्वेद की शिक्षा के साथ-साथ वेटनरी कॉलेज, एमबीबीएस कॉलेज आदि का प्रशिक्षण उपलब्ध करना मुख्य उद्देश्य होंगे।

20. संस्था के उच्चतर विकास हेतु संस्था को आवश्यकता पड़ने पर संस्था अपनी परिसम्पत्तियों को किसी वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों को मोरगेंज करवाकर ऋण प्राप्त कर सकेगी। प्राप्त ऋण संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय किया जावेगा। प्राप्त ऋण निश्चित समय अवधि में सम्बन्धित वित्तीय संस्था अथवा बैंक को वापस जमा करवायेगी।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

कल्याण
(जनरपली)

सचिव
(राजवीर चौधरी)

सचिव
(पी. पी. इन्फो)

सचिव
स्तर सी.पी. इन्फो
देवनागरी (मुक्त)

साधन
स्तर सी.पी. इन्फो
देवनागरी (मुक्त)